वित्त मंत्रालय

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने कोलकाता में एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी रैकेट पर कार्रवाई करते हुए लगभग 26 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए और मास्टरमाइंड सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया

प्रविष्टि तिथि: 13 SEP 2025 7:15PM by PIB Delhi

राजस्व आसूचना निदेशालय की कोलकाता क्षेत्रीय इकाई ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए **12 सितंबर, 2025** को एक बहुआयामी अभियान चलाया। सुबह के शुरुआती घंटों में डीआरआई के अधिकारियों ने तीन अलग-अलग स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया, जिनमें से एक एनएससीबीआई हवाई अड्डे पर और दूसरा जादवपुर के बिजॉयगढ़ इलाके में दो आवासीय परिसरों में था।

रैकेट के मास्टरमाइंड के आवासीय स्थान से भारी मात्रा में हाइड्रोपोनिक वीड, कैनाबिस और कोकीन बरामद किया गया है। मास्टरमाइंड द्वारा किराए पर लिए गए और संचालित एक अन्य आवास से, 'वितरण के लिए तैयार' रूप में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। कोलकाता में ऐसी नशीली दवाओं की बिक्री और स्थानीय वितरण के लिए काम कर रहे मास्टरमाइंड के चार सहयोगियों को भी उसी स्थान से गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने उक्त स्थानों से नकदी भी जब्त की, जो नशीले पदार्थों की बिक्री से प्राप्त हुई थी। सिंडिकेट का एक अन्य सदस्य, जो विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं की व्यवस्था करने में शामिल है, को भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया।

इस बीच, दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय (एनएससीबीआई) हवाई अड्डे पर एक अलग अभियान में, बैंकॉक से आ रहे उक्त गिरोह से जुड़े चार मालवाहकों (जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं) को पकड़ा गया है। उनके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए।

कुल 32.466 किलोग्राम गांजा, 22.027 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड, 345 ग्राम कोकीन और नकदी जब्त की गई है। मास्टरमाइंड, विदेशी वाहक, खुदरा वितरक और बिचौलियों सहित दस लोगों (सभी भारतीय नागरिक) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत के लिए अदालत में पेश किया गया है। सभी जब्ती और गिरफ्तारियाँ **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट,** 1985 की संबंधित धाराओं के तहत की गई हैं। आगे की जाँच जारी है।

यह ऑपरेशन एक बार फिर देश में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल विशाल नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए डीआरआई की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

****

पीके/केसी/डीवी

(रिलीज़ आईडी: 2166391) आगंतुक पटल : 64

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Tamil , Malayalam